यह निरीक्षण प्रतिवेदन **क्षेत्रीय कार्यालय , चीफ फार्मासिस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **क्षेत्रीय कार्यालय , चीफ फार्मासिस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हरिद्वार** के माह 09/2013 से माह 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2018 से 27.12.2018 तक श्री डी. के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2013 से 30.09.2013 तक श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2005 से माह 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2- **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत कारखानों में जिबिका निर्वाह करने वाले कमजोर वर्ग आदि के चिकित्सा के लिए विभिन्न चिकित्सालय के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	826.95	466.54	360.41
2016-17	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	585.11	436.10	149.00
2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	770.09	741.01	29.08
2018-19 (11/18)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	675.03	365.68	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ₹लाख में)

योजना का नाम	**2015-16**			**2016-17**		
	प्रा.अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रा.अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा राज्य के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई ...**स** ....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः- सचिव, श्रम विभाग ⟶ निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा ⟶ मुख्य चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा, ⟶ क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, हरिद्वार

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को बिभिन्न चिकित्सालय के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **क्षेत्रीय कार्यालय , चीफ फार्मासिस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015, 03/2017 एवं 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर :1- निष्पादित अनुबंध की शर्तों के विपरीत औषधालय द्वारा दवा पर रु 3.75 लाख का अनियमित भुगतान ।

As per terms & condition for providing treatment under the empanelled Hospital for super Supecility treatment for ESIC, Point (4) (VII) clearly stipulates that as far as chemotherapy drugs are consumed the anti cancer drugs available in Indian pharmacopeia, british pharmacopeia or U.S pharmacopeia at DG ESIC Rate contract shall only be reimbursed. The hospital / diagnostics centre will not ask the beneficiaries or his/her attendant to purchase separately the medicines/sundries/equipment or accessories from outside and will provide the treatment within the package rate, fixed by the CGHS which includes the cost of all the items. In case of any violation of the provisions of the MOA, done by the empanelled hospital/diagnostics centre, the amount of performance Bank Guarantee will be forfeited and the ESIC shall have the right de empanel the hospital/diagnostics.

कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, औषधालय, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की जांच में लेखा परीक्षा दल द्वारा पाया गया कि ESIC द्वारा Valtentis cancer Hospital, Meerut को कैंसर की चिकित्सा हेतु Empanelled किया गया था ताकि भर्ती होकर cancer पीड़ित लाभार्थियों चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सके, लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि Valtentis cancer Hospital द्वारा Hospital में भर्ती होने के बावजूद लाभार्थियों का chemotherapy की Drugs देने से मना कर दिया जिसका विवरण जो निम्नवत है।

क्रं0 सं0	लाभार्थी का नाम	आई0 पी0 नं0	रेफर नं0/डिस्चार्ज दिनांक	पीड़ित रोग का नाम	दवा हेतु भुगतानित धनराशि
1.	रमेश कुमार	12124	Uttar 2018005180/ 20-12-2018	कैंसर	1,87,040
2.	लाल जी यादव	12090	6109684941 05-12-2018	कैंसर	98,429
3	सूरज कुमार	-----	6109757424 21.12.18	कैंसर	89,628
				योग	3,75,097

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि कैंसर चिकित्साधिकारी ESIC औषधालय, हरिद्वार द्वारा Empanelled Hospital, Valtentis cancer Hospital Meerut, पर भर्ती मरीज को किमोथेरेपी की दवा नहीं प्रदान करने पर कार्यवाही करने के बजाय उक्त लाभार्थियों को आपने यहाँ से दवा की धनराशि ₹ 2.85 लाख अनुबंन्ध के विपरीत नियमविरूद्व प्रदान किया

गया था तथा ESIC रुड़की द्वारा रु 89628/- का भुगतान किया गया, इस प्रकार निष्पादित अनुबंध के विपरीत Empanelled hospital(valentis cancer hospital) द्वारा भर्ती मरीजों को किमोथेरेपी की दवा उपलब्ध कराने से मना करने पर ESIC Dispensary द्वारा किमोथेरेपी की दावा पर कुल रु 3,75,097/- का भुगतान अपने स्तर से नियम विरुद्ध किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ईकाई कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया की भर्ती मरीजों पर उपचार के दौरान सभी व्यय संबन्धित चिकित्सालय द्वारा किया जाना प्रावधानित है परंतु Valentis hospital(Cancer) द्वारा कैंसर पीड़ित रोगी को किमोथेरेपी की दवा देने से मना करने पर औषधालय द्वारा रोगी को औषधियों उपलब्ध करा दिया गया ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि empanelled hospital द्वारा निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार भर्ती मरीजों का सम्पूर्ण चिकित्सा इलाज की ज़िम्मेदारी संबन्धित चिकित्सालय की होती है । Empanelled hospital पर Breach of condition के तहत कार्यवाही करने के बजाय भर्ती रोगियों को चिकित्सालय द्वारा मना करने पर अनुबंध के शर्तों के विपरीत Chemotherapy की दवा MOIC औषधालय द्वारा अनियमित भुगतान रु 3.75लाख किया गया ।

इस प्रकार निष्पादित अनुबंध की शर्तों के विपरीत चिकित्सा भुगतान पर रु 3.75 लाख का अनियमत भुगतान किया गया। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- वित्तीय नियमों के विपरीत स्थानीय दवा क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.70 लाख की प्रत्यक्ष हानि होना।

सामान्य वित्तीय के नियम 21 के बिन्दु (1) में यह प्रावधानित किया गया था कि प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोई भी सरकारी धनराशि का व्यय ठीक उसी विवेक से किया जाना अपेक्षित होता है जैसे कि अपनी स्वंय की धनराशि का व्यय ताकि सरकारी धनराशि का मितव्यतता न हो सके।

कार्यलय कर्मचारी बीमा योजना औषधालय हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2018-19 में गोविन्दपुरी एंव सिडकुल औषधालयों हेतु दवाइयों के स्थानीय क्रय करने के लिए प्राप्त कोटेशन के सापेक्ष (L-1) M/s Subhash Brother Medical store ,हरिद्वार द्वारा अधिकतम MRP. से कम क्रमशः 42% (Genric medicins) 16% (Ethical medicins) पर दवा उपलब्ध कराने हेतु तैयार था फिर भी ईकाई द्वारा 42% MRP. से कम (Genric medicins) पर लेने के बजाय MRP से मात्र 5% कम पर दवा क्रय की गयी थी। लेखा परीक्षा द्वारा आगे पाया कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 (नवम्बर तक) इकाई द्वारा ना तो प्राप्त किया गया था ना ही फर्मों से MRP से अधिकतम कम Rate के लिये कोई Negotiation किया गया है, बल्कि वित्तीय नियमों के विपरीत सभी दवाईयाँ MRP. से मात्र 5% कम पर एक मुश्त क्रय किया गया था। दवा क्रय के सापेक्ष ₹ 58.64 लाख का भुगतान भिन्न फर्मो को किया गया था। इस प्रकार उक्त वित्तीय नियमों के विपरित सभी दवा क्रय MRP से मात्र 5% कम यात्री 37% (42% - 5%) *₹ 58.64 लाख की धनराशि पर ₹ 21.70 लाख फर्मों को अत्यधिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को ₹ 21.70 लाख की प्रत्यक्ष रूप से हानि उठानी पड़ी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय के आदेशानुसार एमआरपी से 42%कम पर दवा क्रय करने से मना कर दिये जाने पर एमआरपी से 5% कम पर दवा क्रय किया गया। उतर मान्य नही है क्योकि कोटेशन से प्राप्त अधिकतम एमआरपी से 42% कम पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने को तैयार होने के वावजूद भी इकाई कार्यालय द्वारा वितीय नियमो के विपरीत मात्र 5% कम पर दवा क्रय किया गया परिणामस्वरूप विभाग द्वारा फर्मों को अत्यधिक भुगतान ₹ 21.70 लाख किया गया जिससे विभाग को ₹ 21.70 लाख की क्षति हुई ।

इस प्रकार प्रकरण के गंभीरता के दृष्टिगत यह प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- बीमाकिंत लाभार्थियों को 4 वर्षों से लेकर 7 वर्षों के विलंब के बाद भी चिकित्सा बिलों की धनराशि ₹ 29.35 लाख की प्रतिपूर्ति न किया जाना।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक्ट के अनुसार बीमाकिंत लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति हेतु जमा चिकित्सा बिलों की भुगतान जमा दिनांक से 30 अधिकतम दिनों के अंदर किया जाना प्रावधानित है।

कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना औषधालय हरिद्वार के वर्ष 2013-14(सितम्बर) से 2018-19 (नवम्बर तक) के बीमाकिंत लाभार्थियों के प्रतिपूर्ति अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 57 बीमाकिंत लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा क्लेम ₹ 24,61,163/- का भुगतान 3 वर्षों से आपत्ति लगाकर लंबित रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पुनः पाया गया कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक 195 बीमाकिंत लाभार्थियों का चिकित्सा क्लेम धनराशि ₹ 473923 स्वीकृत कर संबन्धित के नाम से बैंक ड्राफ्ट तैयार कर 7 वर्षों के बाद भी लेखापरीक्षा अवधि (नवम्बर 2018 तक) भुगतान नहीं किया गया था ।इस प्रकार कुल ₹ 29,35,086/- धनराशि का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान इकाई कार्यालय द्वारा 4 वर्षों से 7 वर्षों तक वर्तमान तक (नवम्बर 2018 तक) लंबित रखा गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संबन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बीमाकिंत का पता स्पष्ट न होने के कारण ड्राफ्ट सौंपी नहीं की जा सकी तथा इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमत: एक्ट में प्रावधानित नियम के अनुसार प्रस्तुत किये गये चिकित्सा क्लेम का निपटारा प्रस्तुत दिनांक से अधिकतम 30 दिनों के अंदर किया जाना अपेक्षित था।इसके अलावा इकाई कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया ना ही पत्र द्वारा संबन्धित को सूचित किया गया था । तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक स्वीकृत चिकित्सा क्लेम धनराशि कि स्वीकृत के बावजूद भी 4 वर्ष से 07 वर्षों के विलम्ब से तैयार बैंक ड्राफ्ट संबन्धित को वर्तमान तक प्रतिपूर्ति नहीं किया गया था जो कि ना सिर्फ विभागीय उदासीनता को दर्शाता है बल्कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति करने में विभाग पूर्णत: विफल होना परिलक्षित होता है ।

इस प्रकार चिकित्सा क्लेम धनराशि का भुगतान ₹ 29.35 लाख अत्यधिक समय से लम्बित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर सं : 4 विगत पाँच वर्षों में आवंटित धनराशि के 04 से 44 *प्रतिशत* तक की धनराशि का वितीय वर्ष के अंत में समर्पण किया जाना।

कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हरिद्वार के वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य आवंटन, व्यय एवं समर्पण के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विगत पाँच वर्षों में आवंटित धनराशि में से 04 से 44 *प्रतिशत* तक कि धनराशि का समर्पण किया गया**,** जिसकी वर्षवार स्थिति निम्नवत थी:

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	व्ययित धनराशि	समर्पण	समर्पण प्रतिशत
2013-14	6,54,03,000	5,38,50,849	1,15,52,151	***17.66***
2014-15	7,16,64,000	6,10,04,365	1,06,59,635	***14.87***
2015-16	8,26,95,000	4,66,53,632	3,60,41,368	***43.58***
2016-17	5,85,11,000	4,36,10,351	1,49,00,649	***25.47***
2017-18	7,70,09,000	7,41,01,222	29,07,778	***3.78***

स्रोत: कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

लेखापरीक्षा में आगे जांच में यह पाया गया कि धनराशि उपलब्ध होने के पश्चात भी कार्यालय द्वारा विगत वर्षों में ₹ 29.35 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान नहीं किया गया (वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर: 03) एवं अव्ययित धनराशि वितीय वर्ष के अंत में समर्पित कर दी गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में कहा गया कि भविष्य में अव्ययित धनराशि समय पर समर्पित की जाएगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- दिशानिर्देशो का उल्लंघन कर पद न होने के बावजूद कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय में योगदान एवं 05 माह का वेतन ₹ 1.60 लाख का अनियमित भुगतान

कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की उत्तराखंड शासन के आदेश संख्या 761/VIII/18-148/(श्रम)/2001 दिनांक 04 जुलाई 2018 द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया था उसमें कनिष्ठ सहायक का कोई पद कार्यालय के लिए स्वीकृत नहीं था। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि श्री दीपक नेगी, कनिष्ठ सहायक द्वारा इस आदेश के उपरांत कार्यालय में योगदान दिया गया तथा इस कार्यालय से उनको वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है।

माह जुलाई 2018 से माह नवम्बर 2018 तक श्री दीपक नेगी, कनिष्ठ सहायक को धनराशि ₹ 31,633/की दर से 03 माह, 33865/- एक माह, 32191/- एक माह के हिसाब से कुल धनराशि ₹ 1,60,955=00 का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा इस पर सहमती व्यस्त करते हुए यह कहा गया की कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अतः दिशानिर्देशो का उल्लंघन कर पद न होने के वावजुत कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय में योगदान एवं 05 माह का वेतन ₹ 1.60 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:6-दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर धनराशि ₹ 58.66 लाख की औषधि की विलम्ब से आपूर्ति पर ₹ 5.87 लाख अर्थदण्ड आरोपित/वसूली न किया जाना।

Employees State Insurance Corporation, New Delhi द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक अप्रैल 2012 के प्रस्तर संख्या 21 में यह कहा गया है की Delivery period will be six weeks. If the tenderer fails to supply within the stipulated period, penalty of 02 to 10 percent of the supplied value will be levied.

कार्यालय के रोकड़ वही के साथ चयनित माह 03/2015 एवं 03/2017 के बिल / वाउचर के जाँच करते समय यह देखा गया की कार्यालय द्वारा औषधि की आपूर्ति हेतु Indent दिनांक से 2-3 माह के पश्चात् supplier द्वारा औषधि की delivery कराया जा रहा है जिसकी विवरण निम्नवत है :-

Name of the Supplier	Indent No.	Indent date	Bill No.	Bill Date	Amount
Lark Laboratories, New Delhi	274	08/07/14	1274	13/10/14	75537
Cipla, Kanpur	441	01/10/14	115600	10/01/15	112250
Glenmark Pharma., Mumbai	475	21/10/14	0381/A	01/12/14	800184
Abbott Health Care, Mumbai	467	14/10/14	1095	18/02/15	325500
Sanofi India Ltd., Mumbai	865	20/01/15	3860509298	11/03/15	427447
D. K. Pharma, Haridwar	554	14/11/14	0008	09/03/15	11312
-do-	501	05/11/14	0009	09/03/15	5976
Themis Medicine, Mumbai	833	19/01/15	RMA/010	18/03/15	626010
-do-	847	19/01/15	RMA/011	18/03/15	62160
-do-	920	02/02/15	RMA/012	19/03/15	866250
-do-	921	02/02/15	RMA/013	19/03/15	616628
IDPL, Lucknow	812	15/01/15	000329	09/03/15	15389
-do-	809	15/01/15	000326	09/03/15	11496
-do-	808	15/01/15	000325	09/03/15	36700

Glenmark Pharma., Mumbai	238	09/08/14	0637/C	14/03/15	1398369
Concept Pharma, Mumbai	340	15/10/14	Roorkee/PDS/37	01/12/14	70392
Ciron Drugs & Pharma, Mumbai	507	10/12/14	T/4620	12/03/15	317678
-do-	528	17/12/14	T/4517	05/03/15	15230
-do-	271	08/07/14	T/2480	27/10/14	71957
				कुल योग	**5866465**

उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुसार ऊपर उल्लिखित Indent में दिए गए आपूर्ति आदेश की कुल मूल्य के 10 % के अनुसार धनराशि ₹ 5,86,646=00 की वसूली supplier से किया जाना था जो की इकाई द्वारा वर्तमान तक नही किया गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा इस पर सहमती व्यक्त करते हुए यह कहा गया की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः धनराशि ₹ 58.66 लाख की औषधि की आपूर्ति में बिलम्ब हेतु वसूली की धनराशि ₹ 5.87 लाख का प्रकरण उच्चधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-3</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	**वर्ष**	**भाग-दो अ प्रस्तर सं0**	**भाग-दो ब प्रस्तर सं0**	**STAN प्रस्तर सं0**
67	**2005-06**	शून्य	**01,02**	शून्य
90	**2013-14**	न	**01**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अलुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया नही जा सका एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग-4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-5

<u>आभार</u>

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **क्षेत्रीय कार्यालय, चीफ फार्मासिस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) **शून्य**

2- सतत अनियमितताएं:-

(अ) **शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री वी . एन . सेमवाल	मुख्य चिकित्साधिकारी
2	श्री जी . सी . नौटियाल	मुख्य चिकित्साधिकारी
3	डॉ आकाशदीप	मुख्य चिकित्साधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **क्षेत्रीय कार्यालय , चीफ फार्मासिस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.